न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 117 / 2025	2025 / 326	17.07.2025	27.05.2026

1– रघुनन्दन पुत्र रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम नांगल सालिया तहसील हरसौली जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1– उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम।
2– रामचन्दरसिंह पुत्र सावतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नांगल सालिया।
3– उठवाबाई पुत्री रामचन्दरसिंह,
4– नीरज पत्नि जयप्रकाश,
5– कानू पुत्र जयप्रकाश नाबालिग जरिये सरपरस्त माता नीरज पत्नि जयप्रकाश,
6– चिनू पुत्री जयप्रकाश नाबालिग जरिये सरपरस्त माता नीरज पत्नि जयप्रकाश,
7– चिकू पुत्री जयप्रकाश नाबालिग जरिये सरपरस्त माता नीरज पत्नि जयप्रकाश जाति राजपूत निवासी नांगल सालिया तहसील हरसौली जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
8– उप पजियक हरसौली जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
9– तहसीलदार हरसौली जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 24 दीवानी प्रक्रिया संहिता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन उनवान रघुनन्दन बनाम रामचन्दरसिंह वगै0 अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण प्रकरण संख्या 137 / 2023 को दीगर राजस्व न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

उपस्थितिः

1– श्री मनोज कुमार

वकील प्रार्थी

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह कथन किया गया है, कि तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन प्रार्थना पत्र उनवान रघुनन्दन बनाम रामचन्दरसिंह वगै0 अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट में अप्रार्थी तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से साजबाज हो चुके है, अप्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियो से साठगांठ कर साजबाज हो गये है। न्यायालय के पीटासीन अधिकारी निष्पक्ष कार्यवाही नही कर रहे है, तहत अदालत के

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना नहीं है, इसी आधार पर उक्त प्रकरण को किसी अन्य दीगर राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलवी जर्ये नोटिस की गयी एंव तहत अदालत का बिन्दूवार जवाब तलब किया गया।

प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत आधारों पर विचार किया गया। स्थानांतरण की शक्ति एक असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग केवल उसी दशा में किया जाता है, जब अभिलेख पर ऐसी ठोस, वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध हो, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो कि संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, अथवा न्याय के हित में प्रकरण का स्थानांतरण अनिवार्य है। केवल आशंका, अनुमान, असंतोष, या किसी पक्षकार द्वारा लगाए गए सामान्य आरोप, स्थानांतरण का पर्याप्त आधार नहीं माने जा सकते।

प्रार्थी द्वारा यह आरोप अवश्य लगाया गया है, कि अप्रार्थीयान प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियो से साठगांठ कर साजबाज होकर निष्पक्ष कार्यवाही नही कर रहे है, किन्तु इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र, ठोस अथवा विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय पक्षपाती है, या न्यायिक कार्यवाही निष्पक्ष रूप से नहीं चलेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण अभी विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रार्थिया असंतुष्ट है, तो उसके विरुद्ध विधि में उपलब्ध उपयुक्त उपाय अपनाए जा सकते हैं। स्थानांतरण का अधिकार इस उद्देश्य से नहीं है, कि कोई पक्षकार केवल अपने मनोनुकूल न्यायालय चुन सके या मात्र आशंका के आधार पर कार्यवाही को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय भेज दिया जाए।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से यह भी परिलक्षित नहीं होता कि तहत अदालत को प्रकरण सुनने से विधिक रूप से वंचित करने वाला कोई क्षेत्राधिकार संबंधी, वैधानिक अथवा प्रक्रियात्मक दोष विद्यमान है। न ही ऐसा कोई विशेष कारण सामने आया है, जिससे यह कहा जा सके कि न्याय के हित में स्थानांतरण अपरिहार्य है।

अतः समस्त तथ्यों, प्रार्थना पत्र के आधारों तथा उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रार्थी द्वारा उठाई गई आशंकाएँ केवल सामान्य एवं आरोपात्मक प्रकृति की हैं, जो किसी विचाराधीन प्रकरण को स्थानांतरित करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। प्रार्थिया स्थानांतरण हेतु कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार स्थापित करने में असफल रहा है।

आदेश

फलस्वरूप, प्रार्थी रधुनन्दन पुत्र रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम नांगल सालिया तहसील हरसौली जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान विधि अनुसार उनवानी रधुनन्दन बनाम रामचन्दरसिंह वगै0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 137/2023 का विधिवत निस्तारण करें। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा